

06/4/26 06/4/26 24/4/26

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, सरायकेला

आदेश

विविध वास सं०-105/2025

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-152 (धारा-133 द्र०प्र०सं०)

अर्जुन प्रधान बनाम् संजय कुमार मोहान्ती

आदेश की संख्या तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
3126	अभिलेख उपस्थापित प्रस्तुत वाद अर्जुन प्रधान, पिता-हरिधर प्रधान, संजय प्रधान, पिता स्व०-नरेन्द्र नाथ प्रधान, पता दोनो आसंगी नियर हरि मंदिर, पो०-आदित्यपुर द्वारा 1. संजय कुमार मोहान्ती पिता-भोला नाथ मोहान्ती 2. श्रीमति शिवानी मोहान्ती पति-संजय कुमार, मोहान्ती, निदेशक मेर्सस प्रियदर्शनी हॉम्स प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस-42/ए० फोर्थ फ्लोर, आशियाना ट्रेड सेन्टर के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-152 द०प्र०सं०-133 के तहत आवेदन के आलोक में वाद का संधारण कर कार्रवाई की जा रही है। उभय पक्षों द्वारा उपस्थिति देते हुये अपना-अपना पक्ष रखा गया। प्रथम पक्ष के संजय प्रधान द्वारा पुलिस पदाधिकारी/अपर उपायुक्त/उपायुक्त/माननीय मुख्यमंत्री को पत्राचार किया गया है। द्वितीय पक्ष द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया। अंचल अधिकारी, गम्हरिया ने अपने पत्रांक-1339, दिनांक-07.10.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया है, कि संजय प्रधान, पिता स्व०-सुरेन्द्र प्रधान, ग्राम-आसंगी के आवेदन के आलोक में अतिक्रमण वाद सं०-2/2025-26 संधारीत कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अंचल अमीन गम्हरिया, के प्रतिवेदन के अनुसार मौजा-आसंगी, थाना नं०-131, रकवा सं०-343, प्लॉट सं०-488, रकवा-38 डी०, किस्म बुलान भूमि का मापी किया गया। जिसमें पाया गया। 1. नकुल प्रधान 2. जगदीश प्रधान 3. गोपी प्रधान 4. शेखर प्रधान 5. कृष्णा प्रधान 6. प्रदमलोचन 7. सुधात 8. मेघनाथ प्रधान तथा कोकिला प्रधान का मकान	

मेरे सामने ज्ञातप्रति किया गया

सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि

Authentication fee Paid

प्रधान सहायक

जिला अभिलेखागार
सरायकेला-खरसावाँ

अधिनियम 1/1872 के धारा 78

अधिन प्रधिकृत

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner



बना है, तथा आंशिक रूप से अतिक्रमण पाया गया वही पर ट्रांसफर भी अवस्थित है तथा प्रियदर्शनी हॉम्स प्राइवेट लिमिटेड का मुख्य गेट का आंशिक भाग एवं कार्यालय बना कर अतिक्रमण किया गया है। दिनांक-19.04.2024 को नापी हेतु तिथि निर्धारित कर सूचना निर्गत किया था, परन्तु पुलिस बल उपलब्ध नहीं होने के कारण नापी कार्य नहीं हो पाया।

अंचल अधिकारी गम्हरिया, ने अपने पत्रांक-148, दिनांक-09.02.2026 द्वारा मौजा-आसंगी, थाना नं०-131, खाता सं०-343, खेसरा सं०-488, रकवा-38 डी० भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की मांग किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं विद्वान अधिवक्ताओं एवं अंचल आधिकारी का जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अंचल अमीन के जॉच के अनुसार मौजा-आसंगी, थाना नं०-131, खाता सं०-343, प्लॉट सं०-488, रकवा-38 डी०, किस्म बुलान है, तथा निदेशक मेर्सस प्रियदर्शनी हॉम्स प्राइवेट लिमिटेड, एवं कई व्यक्तियों द्वारा आंशिक रूप से अतिक्रमण किया गया है। अंचल अधिकारी, गम्हरिया को निदेश दिया जाता है, कि उक्त भूमि का पुनः नापी कराते हुए अतिक्रमण भूमि को मुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे, वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है एवं अभिलेख बन्द किया जाता है।

मुल्य तालिका

प्रतिलिपि आवेदन पत्र शुल्क	20.00
तलाशी शुल्क	0.40
अतिरिक्त शुल्क	2x10 = 20.00
प्रमाणकरण शुल्क	2x10 = 2.20
संख्या	
कागज	
तहिली	
कागज	
मुद्रित फार्म	
ट्रांसिंग क्लोअ	
प्रतिलिपि शुल्क	42.60/-

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सरायकेला।

सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
जिला अभिलेखागार
सरायकेला-खरसावा

अधिनियम 1/1872 के धारा 76
के अधिन प्रधिकृत

कुल बिना मिल रुपय
साठ के दो

Date of application for copy 06/4/26 06/4/26 24/4/26
Date fixed for notifying the requisite number of folio
Date on which the copy was ready for delivery
Date of making over the copy to the applicant

24/4/26
Record Room
Seraikella-Kharaswan

दिनांक: 24/04/2026

माननीय अनुमंडल पदाधिकारी, सरायकेला के न्यायालय में जिला - सरायकेला खरसावां,

झारखंड

विषय: माननीय एस.डी.एम., सरायकेला द्वारा विविध वाद संख्या 105 / 2025 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2026 के अनुपालन हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने बाबत प्रार्थना पत्र।

आवेदकगण:

1. अर्जुन प्रधान, पिता - हरिधर प्रधान
2. संजय प्रधान, पिता - स्व० नरेन्द्र नाथ प्रधान

दोनों निवासी - ग्राम - आसंगी, हरि मंदिर के समीप, पो० - आदित्यपुर, थाना - आर. आई. टी., जिला - सरायकेला खरसावां, राज्य - झारखण्ड।

- आवेदक

बनाम

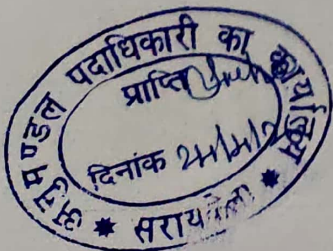
1. संजय कुमार मोहान्ती, पिता - भोला नाथ मोहान्ती
2. श्रीमती शिवानी मोहान्ती, पति - संजय कुमार मोहान्ती, निवेशक/निदेशक - मेसर्स प्रियदर्शनी होम्स प्रा० लि०, रजिस्टर्ड ऑफिस - 42/ए, फोर्थ फ्लोर, आशियाना ट्रेड सेंटर, आदित्यपुर, पो० एवं थाना - आदित्यपुर, जिला - सरायकेला खरसावां, राज्य - झारखण्ड।

- प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र

महोदय,

सविनय निवेदन है कि:



1. कि, उपरोक्त वाद में माननीय एस.डी.एम., सरायकेला द्वारा पारित आदेश के द्वारा मौजा - आसंगी, थाना नं० - 131, खाता सं० - 343, प्लॉट/खेसरा सं० - 488, रकवा - 38 डी०, भूमि से अतिक्रमण हटाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है।
2. कि, अंचल अमीन, गम्हरिया द्वारा किए गए मापी एवं जांच प्रतिवेदन के अनुसार उक्त भूमि पर मेसर्स प्रियदर्शनी होम्स प्रा० लि० के निदेशकगण तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा आंशिक अतिक्रमण पाया गया है, जिसमें मुख्य गेट एवं कार्यालय का निर्माण भी सम्मिलित है।
3. कि, अंचल अधिकारी, गम्हरिया द्वारा भी अपने प्रतिवेदन एवं पत्रांक-148, दिनांक 09.02.2026 के माध्यम से उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की आवश्यकता स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है।
4. कि, पूर्व में दिनांक 18.04.2024 को भूमि की नापी हेतु तिथि निर्धारित की गई थी, किन्तु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध नहीं होने के कारण नापी कार्य सम्पन्न नहीं हो सका, जिससे आदेश का अनुपालन लंबित रह गया।
5. कि, वर्तमान स्थिति में भी यदि दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाती है, तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना है।
6. कि, आवेदकगण बार-बार संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध कर चुके हैं, परन्तु प्रशासनिक सहयोग के अभाव में माननीय न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।
7. कि, न्यायालय द्वारा पारित आदेश का शीघ्र एवं प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा आदेश का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

अतः, महोदय से सविनय प्रार्थना है कि:

1. माननीय एस.डी.एम., सरायकेला द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु एक सक्षम दण्डाधिकारी (Executive Magistrate) की प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए।
2. अतिक्रमण हटाने एवं भूमि की नापी कार्य को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित रूप से सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए।
3. अंचल अधिकारी, गम्हरिया को निर्देशित किया जाए कि वे दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शीघ्रतापूर्वक सुनिश्चित करें।

आवेदकगण का कर्तव्यबद्ध निवेदन

आवेदकगण सदा आपके न्यायालय के प्रति कृतज्ञ रहेंगे।

1. *Arjun Kumar*

2. *Sujay Kumar*
24/04/2026
आवेदकगण के हस्ताक्षर

सेवा में

क्षेत्रीय उपायुक्त महोदय,
सरायकेला-खरसावा ।

दिनांक - 05/06/2026

विषय:- विविध वाद सं-105/2025 में अनुमोदित दण्डाधिकारी, सरायकेला
के तारित आदेश के आलेख में अतिक्रमिता भूमि को मुक्त करना
करने के संबंध में ।

महोदय,

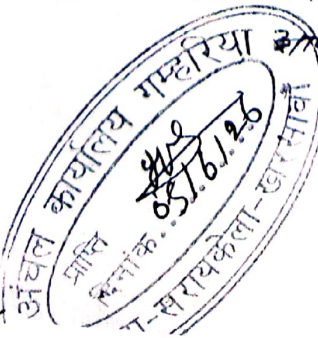
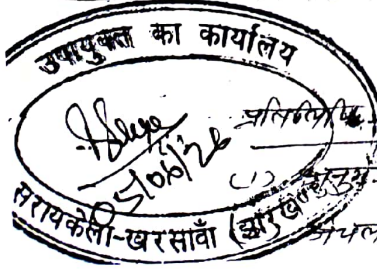
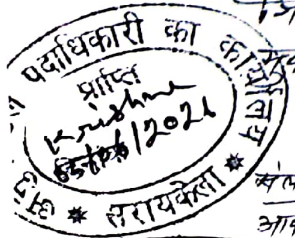
अविनय निवेदन दूँ कि हम अर्जुन प्रधान, पिता-हरिहर
प्रधान, एवं संजय प्रधान, पिता-स्व. नरेन्द्र नाथ प्रधान, ग्राम-आसंगी,
हरि संदिर के समीप, पो-आदित्यपुर, थाना-आर. आर्डी.डी. जिला-सरायकेला,
खरसावा, कारखाने का बिल्डिंग है । उपरोक्त वाद में हम दोनों वादी हैं,
तथा माननीय अनुमोदित दण्डाधिकारी, सरायकेला के न्यायालय में वाद का विचारण
हुआ । विचारण में माननीय न्यायालय द्वारा पाया गया कि निवाहित भूमि
मौजा-आसंगी, थाना नं-131, खाला सं-343, एलोट सं-488, रकबा-38 डी
किस्म बुलान पर संजय कुमार मोहनजी पिता-सोभा नाथ मोहनजी एवं श्रीमति
शिवानी मोहनजी, पति-संजय कुमार मोहनजी, निवेशक/निदेशक-मैसर्स प्रिम्स्टोनी
होम्स प्रा. लि., रजिस्टर्ड ऑफिस-42/ए, कोर्थ फोर, आशियाना ग्रेड रोड,
आदित्यपुर, पो एवं थाना-आदित्यपुर, जिला-सरायकेला-खरसावा, तथा (1) नकुल
प्रधान, (2) अशदीश प्रधान, (3) गोपी प्रधान, (4) वीरेश प्रधान, (5) कृष्णा प्रधान
(6) प्रदमलोचन प्रधान, (7) सुधात (8) मेघनाथ प्रधान तथा कौमिली प्रधान
द्वारा मकान बनाकर उक्त भूमि का आंशिक अतिक्रमण किया गया है ।

माननीय न्यायालय द्वारा अरोक्त वाद सं-105/2025 में दिनांक:-
19.03.2026 के आदेशानुसार गम्हरिया अंभवाधिकारी को उक्त भूमि का पुनः
मापी कराते हुए अतिक्रमण भूमि को मुक्त करना है, परन्तु अब तक उक्त भूमि को
अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है ।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अतिक्रमिता भूमि को मुक्त करने हेतु
अंचल अधिकारी गम्हरिया को निदेश दिया जाए तथा अतिक्रमण मुक्त हेतु
आवश्यक पुलिस बल एवं दण्डाधिकारी नियुक्त करने की कृपा किया जाए,
जिसकी श्रुति हम देने के लिए तैयार हैं, ताकि उक्त भूमि को अतिक्रमण
मुक्त किया जा सके ।

आपके इस महान कार्य हेतु हम सदा आपका आभारी रहेंगे ।

आपके सभी दस्तावेज ।



Singh Pradhan
संजय प्रधान
Mob-7991105360